न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील /30/2021

1—बाबूलाल पुत्र श्री प्रभू
2—सूरज पुत्र श्री प्रभू
3—रमेश पुत्र गिर्राज
4—ताराचन्द पुत्र गिर्राज

जातियान ब्राहम्ण निवासीयान ग्रांम पिपरऊ तहसील नदबई जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

.......रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश दिनांक 14—9—2020 न्यायालय तहसीलदार नदबई ।

उपस्थित :—
1—श्री उदयवीर सिंह कसाना, अभिभाषक अपीलान्ट,
2—पैरोकार सरकार रेस्पो.

निर्णय **दिनांक 12.7.2024**

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 व खिलाफ आदेश दिनांक 14.9.2020 न्यायालय तहसीलदार नदबई के पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश 14—9—2020 में अपीलान्ट अतिक्रमी को आराजी खसरा नम्बर 261 के 0.05 हैक्ट0 किस्म भूमि गैर मुमकिन पोखर से बेदखल किये जाने एवं पेनल्टी कायम किये जाने की आज्ञा दी गई है। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्टान ने यह अपील पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तहत पत्रावली तलब की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्टान ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि 319 रकवा 0.0100 है. गैर मुमकिनबोरिंग ग्रांम पिपरऊमें स्थित जिसमें करीब 50 साल से अपीलान्ट सामलाती बोरिग लगा हुआ है जिससे सम्पूर्ण खेती की सिंचाई करते हैं। सिंचाई करने हेतु अन्य कोई बोरिंग व सिंचाई साधन नहीं है। योग्य अभिभाषक का कहना है कि तहत न्यायालय ने हल्का पटवारी एवं गिरदावर से मोके के विपरीत रिपोर्ट लेकर अपीलान्ट की बोंरिग को

........2

जिला कलक्टर
भरतपुर

जलाशय गैर मुमकिन पोखर को खसरा नम्बर 261 रकवा 1.2100 में दिखा दिया है। जब कि कथित बोरिंग प्रार्थीगण के निजी खसार नम्बर 319 मे लगा हुआ है। मौका पर्चा में अपीलान्ट के हस्ताक्षर फर्जी एवं कूटरचित है। तहत न्यायालय अपीलान्ट के विरोधी व्यक्तियों के प्रभाव में आकर अपीलान्ट के बोरिंग को तुड़वाने चाहते हैं। अपीलाधीन आदेश की जानकारी 14.9.2020 को हुई तव जाकर नकल लेकर अपील जानकारी दिनांक से अन्दर म्याद पेश की गई है, देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा 5 पेश किया गया है। अन्त में निवेदन किया कि अपील को अन्दर म्याद शुमार कर अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

पैरोकार सरकार का कहना है कि अपीलान्टान ने सरकारी भूमि खसरा नम्बर 261 पर बोरिंग लगाकर एवं कोठरी बनाकर अतिक्रमण किया हुआ । भूमि किस्म गैर मुमकिन पोखर है। तहत न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपील म्याद बाहर पेश की गई है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावलीयों का अध्ययन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। तहत पत्रावली मे उपलब्ध पत्रादि रिपोर्ट पटवारी गिरदावर से स्पष्ट है कि अपीलान्ट ने सरकारी भूमि गैर मुमकिन पोखर खसरा नम्बर 261 पर बोरिंग लगाकर एवं कोठरी बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है। तहसीलदार नदबई ने अपीलान्टान अतिक्रमीयों के खिलाफ धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत विधिवत कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन आदेश जारी किया गया है। जिसमें हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 12–07–2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)